कोरोना वायरस के चलते सरकार द्वारा लॉकडाउन के निर्णय लिए जाने पर बहुत सारा माल जो रास्ते में चल रहा था उसके ई वे बिल एक्सपायर हो गए थे इस को बढ़ाने की मियाद की बात चल रही थी क्योंकि सभी लोग घर पर फस गए थे | ट्रक ड्राइवर में माल की डिलीवरी भी नहीं कर पा रहे थे | अकाउंटेंट भी ऑफिस नहीं जा पा रहे थे | माल लेने वाली इकाइयां भी बंद थी| इन सबसे उत्पन्न स्थिति को हम अपने अपडेट में सरकार के सामने लाए थे तथा इन सभी ई वे बिल को बढ़ाने की गुजारिश की थी| सभी एसोसिएशन ने इस तरह की मांग की थी| इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेक्शन 168A में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 से सभी ई वे बिल को जो कि 20.03.2020 तक से लेकर 15.04.2020 तक जारी हुए हैं उनकी मान्यता 30.04.2020 तक आगे बढ़ा दी है |

सरकार व अधिकारी व्यापार व उद्योग जगत को आने वाली परेशानियों को लेकर बहुत संवेदनशील है तथा हर प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं| इसका स्वागत सभी और से किया जाना चाहिए| हमने भी ई वे बिल वाली दिक्कत एक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष रखी थी| उन्होंने इस समस्या को बोर्ड में पहुंचाने के लिए बोला था| कुछ दिन पश्चात ही इस समस्या का समाधान भी आ गया| इन विकट स्थितियों में भी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सभी टैक्स पेयर की सहायता कर रहे हैं तथा समस्याओं को समाधान करने में भी हमेशा तत्पर रहते हैं| इन सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को पूरे देश की तरफ से सलाम है|

परंतु साथ में ही हम यह कहना चाहेंगे की ई वे बिल जो 1 मार्च 2020 से जारी हुए हैं उनकी मान्यता भी बढ़ानी चाहिए| इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि 15.03.2020 को जोधपुर से निकला माल 20 तारीख तक कोलकाता नहीं पहुंच सकता है| इसके लिए भी इस को आगे बढ़ाने की जरूरत है| लॉक डाउन होने के बाद माल की डिलीवरी नहीं हो पाई है| यह माल रास्ते में ही चल रहा है तथा ई वे बिल एक्सपायर हो गया है| इसलिए सरकार से यह गुजारिश है कि 1 मार्च से जारी सभी ई वे बिल 30 अप्रैल तक मान्यता बढ़ा देनी चाहिए|